



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08072021-228184  
CG-DL-E-08072021-228184

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 281]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 8, 2021/आषाढ 17, 1943

No. 281]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 8, 2021/ASHADHA 17, 1943

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 2021

सं. 1-सीए(7)/197/2021.—चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 का आगे और संशोधन करने के लिए कतिपय प्रारूप विनियमों को, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 (1949 का 38) की धारा 30 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार, उससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, पैंतालीस दिन की अवधि के अवसान से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, तारीख 11 दिसंबर, 2020 में अधिसूचना सं. सीए(7)/197/2020, तारीख 10 दिसंबर, 2020 द्वारा प्रकाशित किया गया था ;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां 11 दिसंबर, 2020 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और जनता से उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर संस्थान की परिषद् द्वारा विचार किया गया है ;

अतः, अब परिषद् उक्त अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 का आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (संशोधन) विनियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 में, अनुसूची "क" में, प्ररूप सं. 18 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :-

“प्ररूप '18'

[चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 2(2) और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 का विनियम 53ख और विनियम 190 देखें]

कार्यालय और फर्म के ब्यौरे

1. फर्म का नाम / व्यवसायरत चार्टर्ड अकाउंटेंट का व्यापार नाम
2. फर्म का पेन संख्यांक और जीएसटी रजिस्ट्रीकरण संख्या<sup>1</sup>
3. फर्म के स्वामी/भागीदारों का (के) नाम, उसकी/उनकी सदस्यता संख्या सहित

व्यवसाय प्रमाणपत्र धारण करने वाले भागीदारों के ब्यौरे – (चार्टर्ड अकाउंटेंट/कंपनी सचिव/लागत लेखापाल)

क्रम सं.	भागीदार का नाम	वृत्तिक अर्हताएं*	सदस्यता संख्या :	क्या सदस्यता सक्रिय है (हां/नहीं)	वह तारीख, जिससे व्यवसाय प्रमाणपत्र धारण किया जा रहा है

चार्टर्ड अकाउंटेंट/कंपनी सचिव/लागत लेखापाल से भिन्न वृत्तिक अर्हताएं धारण करने वाले ऐसे भागीदारों के ब्यौरे, जिन्हें विनियम 53ख के अनुसार अनुमति प्रदान की गई है

क्रम सं.	भागीदार का नाम	वृत्तिक अर्हताएं <sup>1</sup>	डिग्री संख्या	उस विश्वविद्यालय/ संस्था का नाम, जिसने डिग्री जारी की है

4.

- (क) स्वामित्व वाली/ भागीदारी फर्म के सृजन की तारीख
- (ख) वह तारीख, जिसको वर्तमान भागीदारी आरंभ की गई थी
- (ग) क्या भागीदारी किसी विलेख द्वारा समर्थित हैं ?
- (घ) क्या सभी भागीदार फर्म के अभिलाभों का अंशभाजन कर रहे हैं ?

5. परिषद् से अभिप्राप्त व्यापार/फर्म के अनुमोदन से संबंधित संदर्भ संख्या, तारीख और विशिष्टियां (केवल ऐसे मामलों में लागू, जहां फर्म को 1.1.1983 को या उसके पश्चात् आरंभ किया गया था)

<sup>1</sup> आवेदन करते समय फर्म का पेन संख्यांक और जीएसटी रजिस्ट्रीकरण संख्या उपलब्ध न होने की दशा में उसे आवेदन करने के समय के तीन मास के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

\* ऐसे भागीदारों, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हैं, की वृत्तिक अर्हताओं को किसी ऐसे स्वतंत्र व्यवसायरत चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित किया जाना चाहिए, जो उक्त फर्म का भागीदार/ उक्त व्यक्ति का कोई नातेदार नहीं है।

6. फर्म/व्यवसायरत चार्टर्ड अकाउंटेंट के प्रधान कार्यालय का पता
7. (क) फर्म/व्यवसायरत चार्टर्ड अकाउंटेंट के शाखा कार्यालय (कार्यालयों) का पता (के पते), यदि कोई हों  
(ख) प्रत्येक शाखा कार्यालय को खोले जाने की तारीख
8. कार्यालयों, अर्थात् प्रधान कार्यालय और शाखा कार्यालयों में से प्रत्येक के प्रभारी सदस्य का नाम, उसकी सदस्यता संख्या सहित

प्रधान कार्यालय	प्रभारी सदस्य का नाम	सदस्यता संख्या

शाखा कार्यालय	प्रभारी सदस्य (सदस्यों) का नाम (के नाम)	सदस्यता संख्या

9. क्या ऊपर क्रम संख्या 3 में कथित स्वामी/ कोई भागीदार भारत में कहीं भी व्यवसायरत चार्टर्ड अकाउंटेंटों की किसी अन्य फर्म (किन्हीं फर्मों) में भागीदार या स्वामी या वेतन प्राप्त करने वाले सहायक हैं और क्या उनमें से कोई कहीं अन्यत्र पूर्णकालिक या अंशकालिक व्यवसाय में नियोजित है ? हां नहीं
10. यदि हां, तो प्रत्येक मामले में ब्यौरे प्रदान करें

भागीदार/स्वामी/ वेतनभोगी सहायक का नाम	ऐसी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म (फर्मों) का नाम (के नाम) जिससे वह संबद्ध है	सहबद्ध होने की हैसियत	कहीं अन्यत्र पूर्णकालिक या अंशकालिक व्यवसाय की विशिष्टियां

11. किसी फर्म की दशा में क्या कोई भागीदार अपने व्यष्टिक नाम से भी व्यवसाय कर रहा है ? हां नहीं
12. यदि हां, तो सदस्य (सदस्यों) का नाम (के नाम) और सदस्यता संख्या
13. किसी फर्म/किसी व्यवसायरत चार्टर्ड अकाउंटेंट के अधीन पूर्णकालिक नियोजन धारण करने वाले संस्थान के सदस्य (सदस्यों) का नाम (के नाम) और सदस्यता संख्या तथा ऐसे प्रत्येक सदस्य द्वारा नियोजन धारण करने की तारीख
14. क्या ऊपर क्रम सं. 13 में कथित कोई वेतनभोगी सहायक भारत में कहीं किसी अन्य फर्म (किन्हीं फर्मों) का भागीदार या स्वामी या उसमें वेतनभोगी सहायक है या किसी व्यवसायरत चार्टर्ड अकाउंटेंट का भागीदार या वेतनभोगी सहायक है ? हां नहीं

15. यदि हां, तो ब्यौरे प्रदान करें :-

वेतनभोगी सहायक का नाम	ऐसी फर्म (फर्मों) का नाम (के नाम) और अवस्थान, जिसमें भागीदार/स्वामी/ वेतनभोगी सहायक के रूप में नियोजित है	फर्म से किस हैसियत में सहबद्ध है, अर्थात् भागीदार/ स्वामी / वेतनभोगी सहायक के रूप में

16. क्या ऊपर क्रम सं. 13 में कथित कोई वेतनभोगी सहायक व्यवसाय कर रहा है ?

17. यदि हां, तो ऐसे वेतनभोगी सहायक (सहायकों) का नाम (के नाम) और सदस्यता संख्या प्रस्तुत करें

### घोषणा

मैं/हम एतद्द्वारा यह पुष्टि करते हैं कि इस प्ररूप में दी गई जानकारी सत्य और सही है।

स्थान:

तारीख:

फर्म के स्वामी/ भागीदार  
(सभी भागीदारों) के  
हस्ताक्षर, उनकी सदस्यता  
संख्या सहित।।”

जय कुमार बत्रा, कार्यकारी सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./146/2021-22]

**टिप्पण :** मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 1 जून, 1988 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/134/88, तारीख 1 जून, 1988 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित संख्याओं द्वारा संशोधित किए गए थे :--

- (i) भारत के राजपत्र, तारीख 7 अक्टूबर, 1989 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/1/89 द्वारा प्रकाशित
- (ii) भारत के राजपत्र, तारीख 19 जनवरी, 1991 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/10/90 द्वारा प्रकाशित
- (iii) भारत के राजपत्र, तारीख 19 जनवरी, 1991 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/11/90 द्वारा प्रकाशित
- (iv) भारत के राजपत्र, तारीख 23 फरवरी, 1991 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/12/91 द्वारा प्रकाशित
- (v) भारत के राजपत्र, तारीख 2 फरवरी, 1991 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/13/90 द्वारा प्रकाशित
- (vi) भारत के राजपत्र, तारीख 7 मार्च, 1992 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/19/92 द्वारा प्रकाशित
- (vii) भारत के राजपत्र, तारीख 1 सितंबर, 1995 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/28/95 द्वारा प्रकाशित
- (viii) भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 13 मार्च, 1996 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/30/95 द्वारा प्रकाशित
- (ix) भारत के राजपत्र, तारीख 16 अगस्त, 1997 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/31/97 द्वारा प्रकाशित
- (x) भारत के राजपत्र, तारीख 26 फरवरी, 2000 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/44/99 द्वारा प्रकाशित
- (xi) भारत के राजपत्र, तारीख 26 फरवरी, 2000 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/45/99 द्वारा प्रकाशित

- (xii) भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 17 अगस्त, 2001 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/51/2000 द्वारा प्रकाशित
- (xiii) भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 28 सितंबर, 2001 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/59/2001 द्वारा प्रकाशित
- (xiv) भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 31 मार्च, 2003 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/64/2002 द्वारा प्रकाशित
- (xv) भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 4 दिसंबर, 2003 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/64ए/2003 द्वारा प्रकाशित
- (xvi) भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 28 जुलाई, 2005 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/83/2005 द्वारा प्रकाशित
- (xvii) भारत के राजपत्र, तारीख 17 जून, 2006 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/84/2005 द्वारा प्रकाशित
- (xviii) भारत के राजपत्र, तारीख 13 सितंबर, 2006 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/92/2006 द्वारा प्रकाशित
- (xix) भारत के राजपत्र, तारीख 17 अगस्त, 2007 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/102/2007(अ) द्वारा प्रकाशित
- (xx) भारत के राजपत्र, तारीख 25 सितंबर, 2008 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/116/2008 द्वारा प्रकाशित
- (xxi) भारत के राजपत्र, तारीख 3 दिसंबर, 2008 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/123/2008 द्वारा प्रकाशित
- (xxii) भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 1 अगस्त, 2012 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/145/2012 द्वारा प्रकाशित
- (xxiii) भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 22 जुलाई, 2014 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/154/2014 द्वारा प्रकाशित
- (xxiv) भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 23 जनवरी, 2015 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/167/2014 द्वारा प्रकाशित
- (xxv) भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 25 मई, 2017 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/178/2016 द्वारा प्रकाशित
- (xxvi) भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 19 अक्तूबर, 2020 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/193/2020 द्वारा प्रकाशित
- (xxvii) भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 23 जून, 2021 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/196/2021 द्वारा प्रकाशित।

## THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

### NOTIFICATION

New Delhi, the 8th July, 2021

**No. 1-CA(7)/197/2021.**—Whereas certain draft regulations further to amend the Chartered Accountants Regulations, 1988, were published as required by sub-section (3) of section 30 of the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949), in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 11<sup>th</sup> December, 2020, vide notification No.1-CA(7)/197/2020, dated the 10<sup>th</sup> December, 2020, inviting objections and suggestions from persons likely to be affected thereby, before the expiry of forty-five days from the date on which the copies of the said Gazette containing the said notification was made available to the public;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 11<sup>th</sup> December, 2020;

And whereas the objections and suggestions received from the public on the said draft regulations have been considered by the Council of the Institute;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 30 of the aforesaid Act, the Council, with the approval of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Chartered Accountants Regulations, 1988, namely:-

1. (1) These regulations may be called the Chartered Accountants (Amendment) Regulations, 2021.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Chartered Accountants Regulations, 1988, in Schedule “A”, for Form 18, the following Form shall be substituted, namely:-

“ FORM ‘18’

(See section 2(2) of the Chartered Accountants Act, 1949, regulation 53B and regulation 190 of the Chartered Accountants Regulations, 1988)

**PARTICULARS OF OFFICES AND FIRMS**

1. Name of firm/trade name of Chartered Accountant in practice
2. PAN number and GST Registration number of firm<sup>1</sup>
3. Name(s) of the proprietor/partners of firm with his/ their membership number(s)

Details of Partners Holding Certificate of Practice

(Chartered Accountant/Company Secretary/Cost Accountant)

S.N.	Name of Partner	Professional Qualifications*	Membership No.:	Whether membership is active (Yes/ No)	Date from which Certificate of Practice held:

Details of Partners Holding Professional Qualifications Other than Chartered Accountant/Company Secretary/Cost Accountant, permitted as per regulation 53B

S.N.	Name of Partner	Professional Qualifications*	Degree No.	Name of University/ Institution which issued the Degree

4. (a) Date of formation of proprietary/partnership firm
- (b) Date on which the present partnership was entered into

<sup>1</sup> In case PAN number and GST Registration number of firm is not available at the time of making application, it should be submitted within three months from the time of making application.

\* Professional Qualifications of partners who are non-chartered accountants should be duly attested by an Independent Practicing Chartered Accountant who is not a partner of the said firm/ relative of the said person.

- (c) Whether the partnership is supported by a Deed?
- (d) Whether all the partners are sharing the profits of the firm?
5. Ref. No; Date and particulars of approval of trade/firm name obtained from the Council (applicable to cases where the firm was started on or after 1.1.1983)
6. Address of the Head Office of the firm/Chartered Accountant in practice.
7. (a) Address(es) of the branch office(s) of the firm/Chartered Accountant in practice, if any  
(b) Date on which each branch office was opened
8. Name of the member, with membership number who is incharge of each of the offices, i.e., head office and branch offices.

Head Office	Name of the member in-charge	Membership Number

Branch Office(s)	Name(s) of the member(s) in-charge	Membership Number(s)

9. Whether the proprietor/any partner stated in serial number 3 above is/are partner or proprietor or paid assistant with any other firm(s) of chartered accountants in practice anywhere in India and whether any of them are engaged in a full time or a part-time occupation elsewhere ? YES NO
10. If yes, give details in each case

Name of the Partner/proprietor/paid assistant	Name(s) of the firm(s) of chartered accountants with which connected	Capacity in which connected	Particulars of full time or part-time occupation elsewhere if any

11. In case of a firm, whether any partner is also practicing in his individual name? YES NO
12. If yes, give name(s) and membership number(s) of the member(s)
13. Name(s) of the member(s) of the Institute with membership number(s) holding full time employment in the firm/under the chartered accountant in practice and date of joining of each such member.

14. Whether any paid assistant stated at serial number 13 above is partner or proprietor or paid assistant with any other firm(s) or chartered accountant in practice anywhere in India ? YES NO

15. If yes, give details:-

Name of the paid assistant	Name(s) and place(s) of firm(s) in which engaged as partner/ Proprietor/paid Assistant	Capacity in which connected with the firm, i.e. as partner/ Proprietor/paid Assistant

16. Whether any paid assistant stated at serial number 13 above is practicing?
17. If yes, give name(s) and membership number(s) of the paid assistant(s)

**Declaration**

I/ We hereby confirm that the information given in this Form is true and correct.

Place:

Date:

Signature(s) of the proprietor/all partner(s) of the firm with their membership number(s)."

JAI KUMAR BATRA, Acting Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./146/2021-22]

**Note:** The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 1st June, 1988 *vide* number 1-CA(7)/134/88 dated 1st June, 1988 and subsequently amended by the following numbers:-

- (i) Notification No.1-CA(7)/1/89, published in the Gazette of India, dated the 7<sup>th</sup> October, 1989;
- (ii) Notification No.1-CA(7)/10/90, published in the Gazette of India, dated the 19<sup>th</sup> January, 1991;
- (iii) Notification No.1-CA(7)/11/90, published in the Gazette of India, dated the 19<sup>th</sup> January, 1991;
- (iv) Notification No.1-CA(7)/12/91, published in the Gazette of India, dated the 23<sup>rd</sup> February, 1991;
- (v) Notification No.1-CA(7)/13/90, published in the Gazette of India, dated the 2<sup>nd</sup> February, 1991;
- (vi) Notification No.1-CA(7)/19/92, published in the Gazette of India, dated the 7<sup>th</sup> March, 1992;
- (vii) Notification No.1-CA(7)/28/95, published in the Gazette of India dated the 1<sup>st</sup> September, 1995;
- (viii) Notification No.1-CA(7)/30/95, published in the Gazette of India, Extraordinary dated the 13<sup>th</sup> March, 1996;
- (ix) Notification No. 1-CA(7)/31/97, published in the Gazette of India, dated 16<sup>th</sup> August, 1997;
- (x) Notification No. 1-CA(7)/44/99, published in the Gazette of India dated the 26<sup>th</sup> February, 2000;
- (xi) Notification No.1-CA(7)/45/99, published in the Gazette of India, dated the 26<sup>th</sup> February, 2000;
- (xii) Notification No.1-CA(7)/51/2000, published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 17<sup>th</sup> August, 2001;



- 
- (xiii) Notification No.1-CA(7)/59/2001, published in the Gazette of India, Extraordinary dated the 28<sup>th</sup> September, 2001;
- (xiv) Notification No.1-CA(7)/64/2002, published in the Gazette of India, Extraordinary dated the 31<sup>st</sup> March, 2003;
- (xv) Notification No.1-CA(7)/64A/2003, published in the Gazette of India, Extraordinary dated the 4<sup>th</sup> December, 2003;
- (xvi) Notification No.1-CA(7)/83/2005, published in the Gazette of India, Extraordinary dated 28<sup>th</sup> July, 2005;
- (xvii) Notification No.1-CA(7)/84/2005, published in the Gazette of India, dated the 17<sup>th</sup> June, 2006;
- (xviii) Notification No. 1-CA(7)/92/2006, published in the Gazette of India, dated the 13<sup>th</sup> September, 2006;
- (xix) Notification No. 1-CA(7)/102/2007(E), published in the Gazette of India, dated the 17<sup>th</sup> August, 2007;
- (xx) Notification No.1-CA(7)/116/2008, published in the Gazette of India, dated the 25<sup>th</sup> September, 2008;
- (xxi) Notification No.1-CA(7)/123/2008, published in the Gazette of India, dated the 3<sup>rd</sup> December, 2008;
- (xxii) Notification No. 1-CA(7)/145/2012, published in the Gazette of India, Extraordinary dated the 1<sup>st</sup> August, 2012;
- (xxiii) Notification No. 1-CA(7)/154/2014, published in the Gazette of India, Extraordinary dated the 22<sup>nd</sup> July, 2014;
- (xxiv) Notification No. 1-CA(7)/167/2014, published in the Gazette of India, Extraordinary dated the 23<sup>rd</sup> January, 2015;
- (xxv) Notification No.1-CA(7)/178/2016, published in the Gazette of India, Extraordinary dated the 25<sup>th</sup> May, 2017;
- (xxvi) Notification No.1-CA(7)/193/2020, published in the Gazette of India, Extraordinary dated the 19<sup>th</sup> October, 2020.
- (xxvii) Notification No.1-CA(7)/196/2021, published in the Gazette of India, Extraordinary dated the 23<sup>rd</sup> June, 2021.